राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प. 9 (1)/कार्मिक/क- 4/08 जयपुर, दिनांक : 10-7-08

–: परिपत्र :–

यह देखा गया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीधे ही संघ लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से पत्र व्यवहार करते हैं अथवा मूल पत्र कार्मिक विभाग को भिजवाते हुए पत्र की अग्रिम प्रति भारत सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित करते हैं। यह राजस्थान आचरण सेवा नियमों के अन्तर्गत दुराचरण की परिभाषा में आता है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भी इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

अतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में न तो संघ लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सीधे ही पत्र व्यवहार करें और न ही अपने किसी पत्र की अग्रिम प्रति उनको प्रेषित करें, अन्यथा आचरण नियमों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।

आज्ञा से,
10/7/08
(पी. रमेश)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपिः– समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण।